शोध मंथन Vol. XI No.IV Oct.-Dec. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X

Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

मध्यकालीन भारतीय समाज में 'पर्दा प्रथा': मुगल काल के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषण

डा0 प्रवीण चौधरी
उप–प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
दिल्ली सरकार
ईमेलः drpraveenchaudhary1@gmail.com

सारांश

मध्यकाल में पर्दा प्रथा जिसका स्थाई प्रचलन सल्तनत काल के प्रारंभ होता है, मुगलकाल में और विस्तष्त हो जाता है। हिंदुओं में विदेशी आक्रमणकारियों के भय से एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी जिसने पर्दा प्रथा को भारतीय हिंदू समाज में स्थापित कर दिया। साथ ही उच्च वर्गीय हिंदूसमाज में यह प्रथा सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाने लगी। भारत आने वाले प्रारंभिक अरब एवं तुर्कों ने इस प्रथा को प्राचीन फारसी (ईरानी) परंपरा से अपनाया था। सल्तनत काल से मुगल काल तक आते–आते यह प्रथा शाही परिवार एवं कुलीन वर्ग से होते हुए साधारण मुस्लिम समाज में स्थापित हो गई। व्यवहारिक कारणों से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के कषक समाज को इसका अपवाद कह सकते है जहां यह प्रथा सांकेतिक रूप से ही रही।

मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में अनेक राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए, जिससे तत्कालीन देश, काल एवं समाज भी प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से इन सब का प्रभाव समाज में स्त्रियों की स्थिति पर भी पड़ा। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन मुगलकालीन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। मध्यकालीन भारतीय समाज में हिंदु और मुस्लिम दो प्रमुख घटक थे,इसलिए दोनों का अलग–अलग विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना

हिंदू समाज में पर्दा प्रथा

भारत में इस्लाम के आगमन के हिंदू समाज में परिवर्तन होने प्रारंभ हो गये। पहला परिवर्तन हम पर्दा प्रथा के विकास के रूप में साथ ही देखते हैं। पर्दा शब्द का तात्पर्य है ओट के लिए कोई वस्त्र, साधारणतः इसका तात्पर्य घूघंट से होता है। सभी के लिए इसका प्रयोग किये जाने पर यह स्त्री का एक अलग कक्ष में या भवन के पृथक हिस्से में–जिसे 'हरम' कहा जाता है– रखा जाना प्रकट करता है।(1) मध्यकाल में हरम शब्द का अर्थ विस्तरित है जिसमें स्त्री–दास, हिजडे, सेविकाएं एवं स्त्री निवास की देखभाल करने वाले कर्मचारी भी सम्मलित हैं।

भारत में पर्दा प्रथा के उद्‌भव के संबंध में दो विरोधाभास पूर्ण सिंद्धांत हैं, कुछ विद्धानों को मत है कि इस प्रथा के उत्थान के लिए मुस्लिम शासक उत्तरदायी हैं तो दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि पर्दे की प्रथा हिंदुस्तान में मुसलमानों के भारत में राज्य स्थापित करने के बाद आई। इनके अनुसार घूंघट की प्रथा प्राचीन भारत में विधमान थी और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं(2) एस.एम. जाफर महोदय ने पर्दा को हिंदु स्त्रियों के लिए धार्मिक कर्त्तव्य कहा है। इसके लिए वे सीता एवं द्रौपदी का उदाहरण देते हैं। धार्मिक ग्रंथों– ब्रह्मपुराण एवं हरिवंश पुराण से उद्धरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पर्दा त्यागना हिंदू समाज में निंदनीय समझा जाता था तथा सार्वजनिक समारोहों में स्त्रियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था थी और उसे पर्दों से ढ़का जाता था।(3)यह सही है कि अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इस तरह का वर्णन है, परंतु यह उनकी संस्कृति का एक रूप था और वे घूंघट या चादर ओढ़कर भी सहज रूप से सामाजिक कियाकलापों में भाग लेती थीं।

इस काल में उच्च वर्ग में स्त्रियों को अलग रखने और उनके बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी में चेहरे ढकने की प्रथा अर्थात पर्दे की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुई।(4)यह प्रथा प्राचीन इरान, यूनान आदि में भी प्रचलित थी। इसे अरबों और तुर्कों ने अपनाया और इसे वे अपने साथ लेकर भारत आए। उनके द्वारा इसका प्रचलन किये जाने के कारण यह भारत और विशेषकर उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रचलित हो गयी।(5) आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू स्त्रियों को बंदी बनाए जाने के डर को पर्दे के प्रचलन का कारण कहा जाता है। हिंसा के युग में यह संभव था कि स्त्रियों को युद्ध में प्राप्त लूट का कीमती माल माना जाए।(6) के.एम. अशरफ के अनुसार वस्तुतः मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारम में प्रवेश से पूर्व प्रदेश से पूर्ण स्त्रियों में पर्दा प्रथा कुछ अंशों में विद्यमान थी लेकिन इस तरह प्रचलित नहीं थी। प्राचीन भारत में स्त्रियों को थोडा बहुत अलग रखा जाता था और स्त्रियां घूंघट का पालन करती थी, किंतु पर्दे का वर्तमान विस्तार और संस्थागत रूप मुस्लिम शासन के समय से प्रारंभ होता है।(7)

मुगल काल तक आते–आते पर्दा प्रथा हिंदु स्त्रियों में आवश्यक प्रथा के रूप में प्रचलित हो चुकि थी। पर्दा प्रथा (हिंदु–मुस्लिम) स्त्रियों के लिए इस प्रकार प्रतिष्ठा सूचक बन गई कि अकबर जैसे उदारवादी शासक को भी आदेश जारी करना पड़ा कि '' यदि कोई तरुणी गलियों एवं बाजारों में बिना पर्दे के दिखाई दे अथवा जिसने अपनी इच्छा से पर्दे को तोड़ा हो तो उसे वेश्यालय में लाया जाए और उसे इसी पेशे को अपनाने दिया जाए।(8) हिंदू स्त्रियों में प्रचलित पर्दा प्रथा, मुस्लिम स्त्रियों की तरह कठोर नहीं थी। उच्च वर्ग की हिंदू स्त्रियां बहुधा अपने घरों के अंदर ही रहती थी, परंतु सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों मं वह घर के अंदर एवं बाहर दोनों जगहों पर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती थी। राजस्थान के राजपूत घरानो में पर्दा प्रथा का अपेक्षाकृत कम प्रचलन था, क्योंकि वहां पर स्त्रियां युद्ध कला में निपुण होती थी और वे शिकार एवं अन्य साहसिक कार्यों में प्रायः भाग लेती रहती थी। इसी प्रकार दक्षिण भारत में विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में कुछ संभ्रांत मुस्लिम परिवारों को छोड़कर पर्दा प्रथा नहीं थी। हिंदू समाज में पर्दा स्त्रियों

की उच्च–प्रतिष्ठा का घोतक था। उच्च हिंदू परिवारों के बीच पर्दा प्रथा के प्रचलन का एक अन्य कारण उनके द्वारा शासक वर्ग के आचार–व्यवहार की नकल करने की प्रवृत्ति थी। राजघरानों की स्त्रियां घर से बाहर कम ही निकलती थीं और जब भी वे बाहर निकलती तो चारों और से पर्दों से ढ़की तथा नौकरों और हिजड़ों से घिरी हुई पालकी में बैठकर चलती थीं। साधारण वर्ग की हिंदु स्त्रियां सामान्यतः आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलती थीं एवं पुरुष स्त्रियों की उचित स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते थे। मुस्लिम स्त्रियों के विपरीत वे अपने को सिर से पैर तक ढ़ककर नहीं रखती थीं, एक कपड़े का टुकड़ा या दुपट्टा, जिससे सिर ढ़क जाता था, पर्याप्त माना जाता था।

निम्न वर्ग की हिंदू स्त्रियां पर्दा प्रथा से पूर्ण रूप से मुक्त थी। ये मुख्यतः कषषि कार्यों, सफाई एवं अन्रू धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग में लगी रहती थी। डा0 के.एम. अशरफ के अनुसार “ कष्षक–स्त्रियों का विशाल समुदाय कोई चादर या विशेष रूप से बना पर्दा नहीं ओढ़ता था और अलग–अलग नहीं रहता था, वे किसी अजनबी के सामने से निकलते समय साड़ी या अन्य शिरोवस्त्र का पहलू चेहरे पर थोड़ा खिसका लेती थी, नही ंतो वैसे उनके हाथ और चेहरे बिल्कुल खुले रहते थे।⁽⁹⁾ ये कृषक एवं मजदूर वर्ग की स्त्रियां अपने पति के सभी कार्यों में सहयोग करती थी एवं घर की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती थीं।

मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा

स्त्रियों के संबंध में मुस्लिम परंपरा प्रत्येक देश में भिन्न थी। तुर्क लोग सामान्यतः अपनी स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता देते थे। हिंदुस्तान में मुसलमान प्राचीन फारसी परंपराओं का पालन करते थे, जो स्त्रियों को निम्न कोटि में रखते हैं।(10) साधारणतः स्त्रियों को पुरुषों का साहचर्य प्राप्त नहीं हो पाता था। बाल्यावस्था में साथ खेलने वाली बालिकाएं और लड़कों में उसकेभाई ही लड़की के साथ रहते थे। विवाहोपरान्त वह अपने पति के साथ रहती थी। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा पहले से ही प्रचलित थी। पैगम्बर मुहम्मद साहब का निर्देश था कि युवा होने पर हाथ और चेहरे को छोड़कर लड़की के शरीर के किसी भाग पर पुरुष की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिये।(11) एक प्रमुख विधिवेत्ता, इमाम मलिक के अनुसार हाथ और चेहरे को छोड़कर स्त्री का संपूर्ण शरीर ‘सत्र’ में सम्मिलित है, अर्थात उसे पूरी तरह ढका रहना चाहिये।(12) इस्लाम पुरुषों और स्त्रियों को सार्वजनकि स्थानों पर घुल–मिलकर रहने की अनुमति नहीं देता। यहां तक कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए स्त्रियों की अलग पंक्ति होती थी। इस प्रकार सभी अवसरों पर मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग स्थान निर्धारित किये जाते थे।

मुगल कालीन मुस्लिम समाज में पर्दा की प्रथा अधिक प्रचलित थी। डेलेट महोदय का कहना है कि मुस्लिम स्त्रियां बिना पर्दे के बाहर नहीं आती थी, जब तक कि वे निर्लज्ज या निर्धन न हो।(13) पाइट्रो डेला वैले ने लिखा है कि मुस्लिम महिलायें जब तक बेईमान या गरीब न हों, बाहर नहीं आती थी।(14) उसका कहना है कि मुस्लिम अपनी स्त्रियों को अपने संबंधियों से भी बात करने की अनुमति नहीं देते थे, केवल अपनी उपस्थिति में ही बात करने देते थे। मनुची का कथन है कि मुस्लिम समाज में स्त्रियों से अपने चेहरे से पर्दा हटाने के लिए कहना अत्यंत

अपमानजनक था।(15) इस प्रकार मुस्लिम स्त्रियों को सामाजिक क्रियाकलापों से अलग–थलग कर दिया गया और उनके किसी प्रकार के सामाजिक संबंध न होने को ही, उनकी उच्चता एवं आदर का प्रतीक मान लिया गया। उच्चवर्गीय मुस्लिम स्त्रियां अपने महलनुमा घरों के अंदर ही रहने लगी। इन घरों के चारों तरफ ऊंची–ऊंची चारदीवारी होती थी। इसके अंदर ही स्त्रियों को सुविधा के लिए जलाशय, बगीचे एवं अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते थे। उच्च वर्ग की इन स्त्रियों को घरों के अंदर भी पारिवारिक पुरुषों से बातचीत करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी। माध्यम के रूप में घरों में दासियां अथवा हिजड़ों को रखा जाता था। इनके द्वारा ही पारिवारिक पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच बातचीत होती थी। उच्च वर्ग की इन स्त्रियों या लड़कियों के अस्वस्थ होने की स्थिति में भी पुरुष वैध या चिकित्सक को उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसी अवस्था में दासियों द्वारा अस्वस्थ स्त्री या लड़की के सारे शरीर को एक कपड़े से रगड़कर उस कपड़े को एक पानी के बर्तन में डाल दिया जाता था। वैध उस पानी की गंध को सूंघकर बीमारी का पता लगाते एवं इलाज करते थे।(16)

विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलने के लिए इन उच्च वर्गीय स्त्रियों को अपने पति एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये अधिकांशतः प्रातःकाल में ही घरों से बाहर निकलती थी। इनकी पालकी को दासियों द्वारा चारों तरफ से घेर दिया जाता था। ये स्त्रियां जब वापिस अपने महलों में पहुंचती थी तो पालकी उठाने वाले महल के बाहर ही इन स्त्रियों को दासियों को सौंप देते थे, जो इन्हें महल के अंदर तक लाती थीं। इसी प्रकार जब कभी राज परिवार की स्त्रियों की इच्छा हाथी पर बैठकर सैर करने की होती थी तो शासक की आज्ञा से महावत अपने हाथी को महल में स्थित रनिवास के समीप लाता था और वह अपने चेहरे को तब तक ढककर रखता था, जब तकवह स्त्री हाथी पर स्थित हौदे पर न बैठ जाये और हौदे कोकपड़े से न ढक दिया जाये। जिस मार्ग से ये स्त्रियां हाथी पर सवार होकर निकलती थी, उस समय उस मार्ग पर अन्य व्यक्तियों को गुजरने की आज्ञा नहीं होती थी। किसी भी कारण से पर्दा हटाने की स्थिति में उसके परिणाम अच्छे नहीं होते थे। उदाहरण के लिए– काबुल के सूबेदार अमीरखान ने अपनी पत्नी को सिर्फ इस कारण से तलाक दे दिया था कि जबवह एक हाथी पर बैठकर सैर कर रही थी तो अचानक हाथी के अनियंत्रित होने के कारण वह हाथी के होदे पर से कूद गयी और इस प्रकार उसने कुछ समय के लिए पर्दा प्रथा का उल्लंघन कर दिया। इन सबके बावजूद हम नूरजहां को अपवाद के रूप में देख सकते हैं जिसने पर्दा प्रथा का परित्याग कर सभी प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया।

दूसरी तरफ जनसाधरण वर्ग की मुस्लिम स्त्रियां घर से बाहर निकलने पर अपने शरीर को बुर्का से ढक लेती थी। इस बुर्के में आंखों की सीध में एक जालीनुमा पट्टी लगी होती थी, जिससे बाहर देखा जा सकता था, लेकिन अन्य कोई स्त्री को नहीं देख सकता था। बारबोसा के अनुसार, निर्धन परिवारों की मुस्लिम स्त्रिया केवल बुर्का ओढ़ती थी।(17) वे मुस्लिम स्त्रियां जो मुख्यतः कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्य में संलग्न थीं, पर्दा प्रथा से मुक्त थी। ये स्त्रियां अपने पति एवं अन्य परिवारजनों के साथ मिलकर कृषि कार्यों और घरेलू व्यवसयों में सहयोग देती थीं और आर्थिक लाभ कमाती थी।

संदर्भ ग्रंथ

1. के.एम. अशरफ, *हिंदुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियां* द्वितीय संस्करण, 1990, हिंदी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, पष0 176 जो कि लेखक की अंग्रेजी पुस्तक 'लाइफ एण्ड कंडीशन ऑफ दि पीपल ऑफ हिंदुस्तान, 1959, दिल्ली से प्रकाशित का डा0 के.एस. लाल द्वारा हिंदी अनुवाद है, जिसका पहली बार प्रकाशन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्ष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में किया गया।
2. एन.सी. मेहता, लेख– *पर्दा, द लीडर,* इलाहाबाद, मई 1938, एन.एन.ला. एनशिएन्ट हिंदु पालिटी, पृ0 **144,** एस.एम. जाफर, सम कल्चरल ऐस्पेक्टस ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, दिल्ली, 1972, पृ0 **201**
3. एस.एम. जाफर, *सम कल्चर एस्चेक्टस आपसिट,* पृ0 **198–99**, ब्रह्मापुराण, अध्याय–32, श्लोक– 39, हरिवंश पुराण, अध्याय– 19
4. सतीश चंद्र, *मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति,* आठवीं से सत्रहवीं सदी तक, हिंदी अनुवाद– नरेश 'नदीम', ओरियंट ब्लैकस्वॉन, संस्करण–2009, पृ0 **131**
5. सतीश चंद्र, *मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति,* आठवीं से सत्रहवीं सदी तक, हिंदी अनुवाद– नरेश 'नदीम', ओरियंट ब्लैकस्वॉन, संस्करण–2009, पृ0 **131**
6. सतीश चंद्र, *मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति,* आठवींसे सत्रहवीं सदी तक, हिंदी अनुवाद– नरेश 'नदीम', ओरियंट ब्लैकस्वॉन, संस्करण–2009, पृ0 **131**
7. के.एम. अशरफ, *हिंदुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियां* द्वितीय संस्करण, 1990, हिंदी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, पृ0 **176**
8. बदायूनी, अब्दुल कादिर, *मुन्तखब–उत–तवारीख,* अंग्रेजी अनुवाद डब्लू0एच0लोव भाग–2, लंदन, 1884, पृ0 **405–406**
9. के.एम. अशरफ, *हिंदुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियां* द्वितीय संस्करण, 1990, हिंदी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, पृ0 **176**
10. के.एम. अशरफ, *हिंदुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियां* द्वितीय संस्करण, 1990, हिंदी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, पृ0 **172**
11. मुहम्मद मजहरूद्दीन सिद्दिकी, *वीमेन इन इस्लाम,* लाहौर, 1959, पृ0 **127**
12. मुहम्मद मजहरूद्दीन सिद्दिकी, *वीमेन इन इस्लाम,* लाहौर, 1959, पृ0 **127**
13. जोन्स डेलेट, *दि एम्पायर ऑफ दि ग्रेट मुगल,* अनुवाद, जे0एस0 हायलेंड और एम0एन0 बनर्जी, बम्बई, 1928, पृ0 **80**
14. पाइट्रो डेला वैले, *आपसिट,* जिल्द–1, पृ0 **44–45**
15. मनुची, *आपसिट,* जिल्द–2, पृ0 **175**
16. अल्तेकर, डा0 ए0एस0, *दि पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदु सिविलाइजेशन,* बनारस, 1938, पृ0 **74**
17. *दि बुक ऑफ ड्यार्टे बारबोसा,* जिल्द–5, लंदन, 1918–21, पृ0 **114**